जवीन जमाल
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश– VIII
हिलसा (नालन्दा)
**<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 582/26</u>**
**नगरनौसा थाना काण्ड सं0– 126/26**

राकेश कुमार.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

**<u>08/07/2026</u>** आवेदक (1) राकेश कुमार पासवान, उम्र 27 वर्ष, पिता स्व0 वृजनन्दन यादव सा0– कुडवापर, थाना नगरनसौरा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विवेकानन्द प्रसाद द्वारा संचालित किया गया। आवेदक को नगरनौसा थाना काण्ड सं0– 126/26 दिनांक 18/05/2026 भा0न्या0सं0 की धारा– 126(2), 115(2), 125(ए), 125(बी), 303(2), 352, 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से पूर्व में किसी भी न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा किसी भी तरह की घटना नहीं किया है। आवेदक पर लगाए गए सारे आरोप झूठा वो बेबुनियाद है। उपरोक्त मुकदमा में लगाए गए धारा भा0न्या0सं0 की धारा– 303(2) को छोड़कर अन्य धारायें अजमानतीय हैं, सिर्फ मुकदमा को गंभीर बनाने के उद्देश्य से 303(2) लगाये गये है। आवेदक का नाम इस वाद में सिर्फ ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है, जिन्हें भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक बी0एन0एस0 की धारा– 482(2) के नियमों एवं शर्तों को मानने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

सूचक मधुसूदन प्रसाद द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 28/04/026 को समय लगभग 8 बजे रात्रि सूचक अपने गांव से अपने पुत्र राहुल कुमार के शादी में बारात लेकन बैकटपुर निकला था। दुलहन की शादी का सामान एव सोने, चांदी का आभूषण लगभग सात–आठ लाख का था। सूचक के सहोदर भाई के गाड़ी सुजीत का साला राकेश कुमार जो गाड़ी लेकर आया था, जिसका गाड़ी नं0–बी0आर0 01 FK9927 पर सारा सामान लोड किया व रात में भेजा। जिस गाड़ी में तीन–चार परिवार भी सवार थे। इन्होंने ही सारा सामान गायब कर दिया एवं तीन–चार सवार व्यक्ति को बैकटपुर मंदिर छोड़ दिया। काफी रात बीतने के बाद विधि में सामान का जरूरत पड़ा तब सामान खोजा गया। सूचक के भाई का साला को गांव पर कुछ लोग बुलाने गए तो सभी को राकेश की मॉ, भोजाई, भाई एवं पत्नी ने गाली–गलौज करते हुए ईटा रोड़ा चलाया। सूचक के परिवार के लोग लौटकर शादी में आए एवं बाजार से सिंदूर बगैरह सामान लकर शादी का रस्म निभाए। बाद में पंचायती करने पर पंचायती समय बढ़ाते गए और सामान देने से इन्कार कर रह है।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

Web Copy

**<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 582/26</u>**
**नगरनौसा थाना काण्ड सं0– 126/26**

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 50 के अवलोकन से विदित है कि आवेदक राकेश कुमार के घर से चोरी का कोई भी आभूषण एवं श्रृगांर का सामान बरामद नहीं किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 64 एवं 65 में दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अपने बयान में कथन किया है कि शादी में राकेश कुमार की गाडी को भाड़े पर ठीक किया गया था। उसके बाद शाम में गाड़ी पर दूल्हा एवं साथ में कुछ व्यक्ति बैठकर गायत्री मैरेज हॉल मेन रोड खुशरूपुर गए थे और वहॉ पर दूल्हा एवं उसमें लदा सामान को उताकर मैरेज हॉल में पहुचा दिए और वही पर गाड़ी लगा दिये। उसके एक–दो घण्टे के बाद मधुसूदन प्रसाद (सूचक) का भगिना मनोज कुमार, एवं संजीव कुमार वहॉ पहुॅचा था। मनोज कुमार, संजीव कुमार और राकेश कुमार के बीच पूर्व में विवाद हुआ था तथा उसी बात को लेकर उस दिन भी झगड़ा होने लगा, उसके बाद राकेश कुमार अपना भाड़ा का खाली गाड़ी लेकर वहॉ से चले गए। अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका– 3 के अनुसार आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) द0प्र0स0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) दो जमानतदारों में से एक जमानतदार परिवार का नजदीक रिश्तेदार होगा। (2) काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी या प्रलोभन नही देंगे न ही साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करेंगे। (2) इस प्रकार के आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति वाद लंबित रहने के दौरान नहीं करेंगे। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर बंध पत्र खंडित करने हेतु न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(लेखापित एवं संशोधित)
जवीन जमाल
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश– VIII
हिलसा (नालन्दा)

Web Copy